जवाबदेही और पारदर्शिता का मुद्दा

❑ **अजीत कुमार सिंह**

शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अशिक्षित व्यक्ति को आपने बुलाया और कुछ कहने का मौका प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । इस क्षेत्र में, मेरा कोई विशेष अनुभव नहीं है परन्तु राज्य सरकार में करीब एक दशक से ज्यादा कार्य करते हुए और उसमें कभी कभी सोशल सेक्टर में काम करने का जो मौका मिला और पिछले चार-पांच महीनों से शिक्षा के क्षेत्र में भी जो काम करने का मौका मिला, उसके आधार पर जो भी मेरी समझ है, मैं कोशिश करुंगा कि उन मुद्दों को आपके सामने रखूं । आप लोग माफ करेंगे, यदि मैं कुछ शब्दों का अंग्रेजी में प्रयोग करूं । किसी किसी अंग्रेजी शब्द का तुरंत उपयुक्त हिन्दी शब्द मेरे ध्यान में न आये तो । रोहित जी ने जिस प्रकार से चर्चा को प्रारंभ किया, उसमें कुछ तात्विक और मूलभूत मुद्दे थे । कोई भी राज्य, जब मैं राज्य की बात कर रहा हूं तो स्टेट की बात कर रहा हूं यानी स्टेट गवर्नमेंट की बात लेकिन स्टेट एज एन एन्टिटी, कोई भी स्टेट अपने क्षेत्र के अंदर जो सब्जेक्टस हैं उनके ऊपर किस प्रकार की शिक्षा लादना चाहती है । दूसरा मुद्दा था कि मानव विकास हेतु शिक्षा का क्या प्रारूप होना चाहिए और तीसरा मुद्दा यह था कि लोकजुम्बिश के जो अनुभव रहे हैं उनको केन्द्र में रखते हुए शिक्षा के सार्वजनीकरण और समाजीकरण की दिशा में किस प्रकार, कौन कौन से मुद्दे हैं। और उन मुद्दों को किस तरह से सुलझाना चाहिए या अपनाना चाहिए ।

इस पर पिछले करीब दो घंटों से कुछ विचार रखे गये हैं, उन पर बिना किसी प्रकार की टिप्पणी करते हुए, मैं चाहूंगा कि ये सदन जब समूहों में चर्चा करे तो मैं कुछ मुद्दों को उसके लिए जोड़ना चाहता हूं । जिन मुद्दों को हमारे पूर्व के वक्ताओं ने उठाया, उन मुद्दों में कुछ मैं कहना चाहूंगा, उनमें एक परिदृश्य, दूसरा डायमेंशन जो है, उस संबंध में मैं आग्रह करूंगा कि मेरी जो भी समझ है, उसे भी ये सदन ध्यान में रखे जब आगे की चर्चा हो ।

प्रथम मुद्दा तो ये है कि जब हम समाजीकरण या सार्वजनीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसे हम निश्चितरूपेण आइसोलेशन में न करें परन्तु उस समाज के परिदृश्य में करें, जिस समाज में हम रहते हैं और जिस समाज की हम बात करते हैं । उदाहरणार्थ, अमेरिका में, मलयेशिया में या राजस्थान में जब हम शिक्षा के समाजीकरण या सार्वजनीकरण की बात करेंगे तो शायद तीनों अलग-अलग समाज हैं । आज का हमारा समाज जो है, विशेषकर राजस्थान, इसमें करीब 48 प्रतिशत व्यक्ति अशिक्षित हैं । तो जो सार्वजनीकरण का या समाजीकरण का प्रारूप हो, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि अगले 50 वर्षों में या 100 वर्षों में नहीं परंतु अगले कुछ निश्चित वर्षों में, 5 वर्षों या 10 वर्षों में, कम से कम यह स्थिति प्राप्त की जा सकती है । कहीं ऐसा न हो कि हम इस प्रकार के सुझाव रखें कि उन सुझावों को अपनाने के बावजूद या उन सुझावों को अपनाने के उपरान्त भी आम जनता को जो शिक्षित करना है उसका लक्ष्य हमें 50साल के बाद प्राप्त हो या 100 साल के बाद प्राप्त हो । एक तो ये मुद्दा था ।

इस परिदृश्य में अगर हम देखें कि एक निश्चित समय-अवधि में हमें ये उद्देश्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए कई प्रकार के

संसाधनों की आवश्यकता होती है । इन संसाधनों के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कुछ एक बातें बतायी हैं और मैं इसमें सिर्फ इतना जोड़ना चाहूंगा कि यदि वृहद् स्तर पर कोई कार्यवाही की जाती है तो हम चाहें या न चाहें, राज्य की भूमिका एक प्रकार के रिसोर्स ग्रुप में जरूर आ जाती है, चाहे वो आर्थिक रिसोर्स हो या राज्य का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सिस्टम है, एक सिस्टम हम जिसके अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और उसमें येन केन प्रकरेण राज्य का किसी न किसी रूप में एक जुड़ाव, इन्वोल्वमेंट निश्चित रूप से होगा । इसका क्या प्रारूप हो, इस पर मैं किसी प्रकार का वेल्यू-जजमेंट नहीं करना चाहता .... लेकिन यदि हम ये मान लें कि हमें एक उद्देश्य को निश्चित समय अवधि तक प्राप्त करना है और इस हेतु राज्य की भी अगर सहायता लेनी उचित समझी जाती है तो इसके कोलोबोरेशन, सहयोग पर विचार करना पडेगा । ...पहला तो ये है, कि जब राज्य के साथ किसी प्रकार का कान्फिटक्ट हो या डिफरेंस ऑफ ऑपिनियन हो तो उस द्वन्द्व-समाधान का मैकेनिज्म क्या हो ?

और डिफरेंस ऑफ आपिनियन के मामले को सुलझाने का मैकेनिज्म क्या हो ? निश्चित रूप से राज्य को या राज्य के प्रतिनिधियों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वहीं सर्वशक्तिमान और वही सारे ज्ञान के स्रोत हैं । परन्तु दूसरा पहलू जरूर ये है कि अगर ये राज्य को या राज्य के प्रतिनिधियों को नहीं सोचना चाहिए तो यह हक शायद किसी और को भी नहीं है । इस मुद्दे को हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम आगे बात करेंगे । मैं बात कर रहा हूं सिर्फ द्वन्द्व और मतभेदों के समाधान की क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है पिछले तीन-चार महीनों में .... जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, जो भिन्न भिन्न स्तरों पर कहा गया है कि राज्य सरकार की क्या सोच रही होगी, ... अन्य व्यक्तियों द्वारा या संस्थाओं द्वारा जो कहा गया गया है, मैं समझता हूं कि काफी हद तक उसके पीछे कारण ये रहा है कि हममें से कुछ लोगों ने अपने पूर्वाग्रहों के चलते विपरीत जगह ले ली हो,...... कि कुछ और भी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, शिक्षा के सार्वजनीकरण में रुचि रखते हैं, उन्होंने भी एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कर एक पोजीशन ली । एक तो इस तरह के इन्स्टान्सेज इसमें कोट किये गये हैं, लेकिन यहां मैं चर्चा को उस स्तर पर नहीं ले जाना चाहता । और मैं इसको सिर्फ एक डिस्कशन के अन्तर्गत ही रखना चाहता हूं लेकिन ये भी एक मुद्दा है और इस मुद्दे पर भी चर्चा की जानी चाहिए कि कन्फिलिक्ट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म क्या होगा । यदि इस तरह सोचना है तो यह है कि अगर पूर्वाग्रहों को हटाना है तो उसकी एक प्रणाली, फार्मल या इनफोर्मल सिस्टम उसके लिए क्या होना चाहिए ?

स्टेट इन्टरवेंशन या स्टेट को अगर आप भागीदार मानते हैं या राज्य जो भागीदारिता करता है तो निश्चित रूप से एक दूसरा मुद्दा भी सामने आता है और वो मुद्दा है एकाउन्टेविलिटी का । मैं ये नहीं कह रहा हूं कि है, एकाउन्टेविलिटी राज्य सरकार के प्रति होनी चाहिए कि राज्य सरकार के लिए सबको एकाउन्टेबिल होना चाहिये। लेकिन मेरा मतलब यहां पर... एकाउन्टेविलिटी से है शायद ट्रान्सपेरेन्सी या पारदर्शिता । इसे मैं इस तरह से कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि अगर समझाने की जरूरत है तो, मैं नही समझता हूं कि जरूरत है । लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जहां समाज का करोड़ों रुपया लग रहा है, अरबों रुपया लग रहा है तो उसमें जो भी भागीदार व्यक्ति हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वे गवर्नमेन्ट आफिशियल्स हों, चाहे वे नॉन गवर्नमेन्टल ऑर्गनाइजेशन हों .... क्या उनकी ट्रान्सपेरेन्सी, किसी प्रकार की जबावदेही या जिम्मेदारी होनी चाहिये या नहीं ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय को मैं ये सूचित करना चाहूंगा कि पिछले चार महीनों में ये पहला फौरम है या पहला कोई मौका है जिससे कि ये कोशिश की जा रही है कि लोक जुम्बिश के भी दृष्टिकोण को सुना जावे। पिछले चार महीने से किसी व्यक्ति ने लोक जुम्बिश में क्या बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है वगैरह के बारे में न मुझे ये कहा कि तुम आकर के बताओ और ना उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, या चाहती हूं ।

लोक जुम्बिश परिषद एक नियम, कानून के तहत बना हुआ है , उसका एक संविधान है । कम से कम इतनी जबावदेही और पारदर्शिता तो होनी चाहिए कि उस संविधान की जहां तक हो सके, पालना की जावे । ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जहां कि संविधान की पालना प्रेक्टिकल न हो । उसका कारण दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां मैं प्रेक्टिकल ट्रान्सपेरेन्सी की बात कर रहा हूं । उस पारदर्शिता और जवाबदेही में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उस संविधान की पालना किसी कारणवश नहीं की तो कम से कम वो भी बड़ा साफ हो कि इन कारणों से संविधान के इन अनुच्छेदों की या इन प्रक्रियाओं की पालना नही की जा सकी । क्योंकि अंतिम मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति करना आवश्यक था। इस संविधान में जो भी प्रावधान किए गये, आप मुझ पर विश्वास रखें मैं किसी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं । लेकिन जिस परिस्थिति में मैं हूं कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के करोड़ों रुपये को शिक्षा में लगाने हेतु एक प्रक्रिया संविधान के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है, उस प्रक्रिया का पालन करने में अगर मुझे कुछ जानकारी किसी व्यक्ति या किसी संस्था से चाहिए और अगर मैं वह जानकारी लेना चाहूं और उसके लिए ये कहा जाये, मतलब कि लोकजुम्बिश

परिषद में आज तक तो ये सवाल पूछा नहीं गया और आज ये सवाल पूछा जा रहा है, तो मेरा तो सुझाव सिर्फ इतना है कि सवाल आज नहीं पूछा जा रहा तो निश्चित रूप से किसी न किसी दिन जरूर पूछा जायेगा, अगर सात साल नहीं पूछा गया, लेकिन समाज का पैसा है, समाज के स्रोत लगे हुए हैं तो ये सवाल तो किसी न किसी दिन, किसी न किसी फोरम में जरूर पूछा जायेगा । लेकिन चूंकि सिर्फ संविधान की पालना या मर्यादा को रखते हुए और किसी प्रकार की सूचना किसी से मांगी जावे और ये समझा जावे कि ये लोकजुम्बिश को क्या हो गया है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, लोकजुम्बिश की स्पिरिट मर गयी है । तो उसे आप मेरे दृष्टिकोण से भी देखिए कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, लोक जुम्बिश के संविधान के अन्तर्गत जो चीजें हैं, कार्य करने की जो रिस्पांसिविलिटी दी गयी है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है । तो एकाउन्टेविलिटी और ट्रान्सपेरेन्सी दोनों ओर से, सरकार की ओर से एकाउन्टैविलिटी और ट्रान्सपेरेंसी कैसी हो और हमारी ओर से जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ओर से एकाउन्टेबिलिटी और ट्रान्सपेरेन्सी कैसी हो ?

इसी से संबंधित एक दो मुद्दे और हैं । मैं सोचता हूं उन पर चर्चा होनी चाहिए ।

एक प्रश्न यह है कि जहां हम आप राज्य सरकार के व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जैसे आज सुबह चर्चा हो रही थी, तो मुद्दा यह उभरकर आता है कि क्या जो व्यक्ति हो या संस्थाएं, प्रारंभिक शिक्षा या शिक्षा के समाजीकरण या सहभागिता के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, मैं ये तो कहूंगा नहीं कि एक व्यक्ति की राजनीतिक प्राथमिकता नहीं हो, उसके पॉलिटिकल आइडिया या व्यूज नहीं हों, लेकिन राजनीतिक चुनाव जब होता है तो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसका प्रेक्टिकल एक्शन किस प्रकार का हो, तब नीचे से नीचे समाज के स्तर पर डिफरेंट पॉलिटिकल समूह हैं, उनमें से उनको जाकर प्रभावित न करते हुए ही वह उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, यदि समाज के लिए उन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। व्यक्तिगत स्तर पर। विभिन्न राजनीतिक रुझान रखते हुए दूसरों को प्रभावित नहीं करे ।

अंतिम मुद्दा है कि जब हम जन सहभागिता की बात कर रहे हैं तो उसमें यह भी चर्चा होनी चाहिए कि उसका प्रारूप क्या हो? व्हाट शुड वी द मोडस ऑफ कम्यूनिटी पार्टीसिपेशन या कम्यूनिटी ओनरशिप, और दूसरा है, किस स्तर की सहभागिता की बात हम कर रहे हैं, मैं इसे समझाना चाहूंगा थोड़ा सा जब में प्रारूप की बात कर रहा हूं कि कम्यूनिटी ऑनरशिप का प्रारूप क्या होना चाहिए। फिलवक्त एक बहुत अच्छी बात यहां उभरकर आयी कि एक नया शौक स्टार्ट हो गया है विकेन्द्रीकरण, विकेन्द्रीकरण पॉपुलिज्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ।

अगर राज्य सरकार को विकेन्द्रीकरण का शौक चढ़ गया है तो कम्यूनिटी पार्टीसिपेशन या कम्यूनिटी ऑनरशिप का स्वरूप क्या हो ? जब हम बात करते हैं लोकजुम्बिश या शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट की वो जो लोकल कमैटी है क्या वो होनी चाहिए जो हमने गांव स्तर पर कमेटी या एडवाइजरी कमेटी हमने गठित की है लोक जुम्बिश में । या वो होना चाहिए जो पंचायती राज संस्थाओं में विकेन्द्रीकरण हो रहा है, उसमें जिनको प्राथमिक शिक्षा को रेस्पॉन्सिबिलटी या दायित्व दिया जा रहा है । चूंकि अगर एक ही राज्य है तो 19 जिलों में तो हम उसे कन्स्टीट्यूट कर रहे हैं कि पंचायती राज संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा चलायेंगी, उनके पास ऑनरशिप होनी चाहिए, बाकी जिलों में हम कहें कि किसी और के पास ऑनरशिप होनी चाहिए । तो प्रश्न यह उठता है कि वो जिले जहां कि पंचायती राज संस्थाओं के पास ये रेस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व नहीं है, वहां का जो पॉवर स्ट्रक्चर है, वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख तो आपकी जो स्ट्रटेजी है या आपका उद्देश्य है कि उसके प्रति उनका दृष्टिकोण क्या होगा ? तो प्राथमिक शिक्षा के ग्रामीण स्तर पर सचालन की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को दी जाये या किसी और समुदाय को, यह भी एक विचारणीय मुद्दा है ।

और अंतिम बिन्दु ये था, इसी से संबंधित कि कम्यूनिटी ऑनरशिप का सहभागिता का स्वरूप क्या हो .. मैं शायद गलत होऊ। मैं नहीं मानता कि गांव वाले जो हैं या जो ढाणियों में, मजरों में रहते हैं वो क्या यह निर्णय करने की स्थिति में हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए , उनका संदर्भ जरूर आना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए कि उनकी क्या आवश्यकता हैं, उनका विकास किस प्रकार होना चाहिये, उनकी क्षमता का विकास किस प्रकार होना चाहिए । जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं मैं समझता हूं विशेषकर उद्देश्य की बात कर रहे हैं, मैं जो समझता हूं शिक्षा का उद्देश्य कि मनुष्य के अंदर जो क्षमता है, अंततः वह ही विकसित होकर निकले । ये तो मानव का इतिहास रहा है और जो कि तथ्य और सिद्धांत है, ये कि कुछ लोग जो हैं वे समाज की, विचार की धारा को कॉन्क्रीटाइज्ड करते हैं, या समाज को किस प्रकार का ज्ञान हो उसको कॉन्क्रीटाइज्ड करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी इश्यूज हैं, क्या हरेक में गांव स्तर से ही, स्थानीय स्तर से ही फीड बैक से लेकर के वर्गीकरण करके, ये करें या अलग अलग स्तर हो सकते हैं या अलग अलग स्तर के जो स्टेक होल्डर हैं वे इसका

निर्णय करेंगे या तय करेंगे कि किस तरह का उसका प्रारूप होना चाहिए ।

अगर आज या कल किसी को लोक जुम्बिश के बदलाव के संबंध में अगर कोई जानकारी प्राप्त करनी हो या कोई चर्चा करना चाहते हैं तो ... चूंकि बदलाव से तो मैं नही डरता क्योंकि कोई चीज रुक जाती है कहीं पर, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है चाहे कितना भी कोई आइडियल सिस्टम हो, हां, इतना जरूर निश्चित किया जाना चाहिए कि बदलाव की दिशा उचित हो, तो उसके संबंध में किसी को कोई शंका हो, प्रश्न हो तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उसे अपनी समझ की हैसियत से उसका उत्तर देने की । अंततः राजस्थान के और जयपुर के जो शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग, बड़े लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों ने मुझे पहली बार अपने बीच बैठने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।